बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–16.04.2018 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1 विधि शाखा-- बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 का 02 मामला लंबित है।

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 ..../17 परशा पाण्डेय बनाम बिहार राज्य	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि यह मामला जिला भू–अर्जन कार्यालय से संबंधित है। बताया गया कि दिनांक 17.04.2018 को समाहर्त्ता न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को इस सम्बंध में आज ही विमर्श करने का निदेश दिया गया। (अनु0–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, सीवान)
2	एम0जे0सी0 ..../18 रामवच्चन बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार होकर आ गया है। इसे अनुमोदित कराकर आज ही भेजने का निदेश दिया गया (अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान)

1.2–यह भी बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–..../16 मीरा कुमारी बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	अभीतक एस0ओ0एफ0 तैयार नहीं हुआ है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,आंदर से बात हुई है।यह पेंशन पुनरीक्षण से सम्बंधित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित कर अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कराने का निदेश दिया गया। (अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)
2	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–7575/17 मीरा कुमारी बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	
3	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–3769/18 विद्याभूषण पाण्डेय बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 अभी तैयार नहीं हुआ है। इसे 2 दिनों के अंदर तैयार कराने का निदेश दिया गया। (अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी)
4	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–1671/18 राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, महाराजगंज	बताया गया कि यह मामला राजस्व से संबंधित है और एस0ओ0एफ0 तैयार हो गया है और आज प्राप्त हो जाने की संभावना है। निदेश दिया गया कि शीघ्र एस0ओ0एफ0 प्राप्त किया जाय। (अनु0–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, महाराजगंज/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा)
5	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– / सादिक मियां बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर	प्रभारी पदाधिकारी,विधि द्वारा बताया गया कि इसमें अगली तिथि 23.04.18 है।इसके पूर्व एस0ओ0एफ0 तैयार कराकर एवं अनुमोदित कराकर भेजने का निदेश दिया गया। (अनु0 प्रभारी पदाधिकारी,विधि शाखा)

1.3–विभिन्न न्यायालय स्तर से प्राप्त (एम0एम0) महत्वपूर्ण सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

1	Chitranjan Sinha, Senior Adv. Principal Additional Advocate General No. 2, Patna High court	पत्रांक 1067 दि0 31.01.18	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–3522/16 विकासचन्द्र गुड्डू बाबा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	राजस्व/स्वास्थ्य/नगर परिषद	बताया गया कि नगर परिषद द्वारा सिविल सर्जन को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। सिविल सर्जन को अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार करने का निदेश दिया गया। (अनु0–सिविल सर्जन,सीवान)

जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि श्री विनोद कुमार झा,संयुक्त निदेशक, कृषि गणना,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ,बिहार के पत्रांक–281 रा0 दिनांक–06.04.18 द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–1092/2014 (सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4979/2005 से उत्पन्न) बिहार राज्य एवं अन्य बनाम नवल किशोरी देवी,पति– स्व0 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–18.01.2018 के विरुद्ध एस0एल0पी0 (विशेष अनुमति याचिका) करने का निदेश दिया गया है। इस सम्बंध में अग्रेतर कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को दिया गया।**(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)**

इसके अलावे सभी पदाधिकारियों को अपने यहाँ लम्बित एम0जे0सी0 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले को गंभीरता से लेते हुए एवं व्यक्तिगत रूचि लेते हुए निर्धारित समय–सीमा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं उसके ओथ नम्बर की सूचना प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को भेजने का निदेश दिया गया। प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी प्रखण्ड में जाने पर इसकी निश्चित रूप से समीक्षा करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

<u>2–लोक शिकायत निवारण</u> :– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 15 दिन से अनुपालन हेतु लम्बित है।इस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सम्बंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। बताया गया कि अनुमण्डल स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से सम्बंधित मामले ज्यादा प्राप्त हो रहे है।**(अनु0– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान)**

<u>3–आर0टी0पी0एस0</u>– स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत बड़हरिया में 2,बसंतपुर में 13, भगवानपुर हाट में 1, लकड़ी नबीगंज में 3 मामले कालबाधित हुए हैं। इस सम्बंध में दोनो अनुमण्डल पदाधिकारियों को पत्र भेजने का निदेश दिया गया। स्थापना उप समाहर्त्ता को अपील में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर संचिका में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्हें उन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया जिन्होंने आर0टी0पी0एस0 मद में प्राप्त आवंटन को अबतक खर्च नहीं किया है जबकि उनके यहाँ आर0टी0पी0एस0 में कमी की शिकायत प्राप्त हुई है। **(अनु0–स्थापना उप समाहर्त्ता, सीवान)**

आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत से सम्बंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की शनिवार को होने वाली बैठक की कार्यवाही को अपलोड नहीं किया जा रहा है।उन्हें इस सम्बंध में लिखित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को कार्यवाही की प्रति प्रत्येक शनिवार को प्राप्त कर अपलोड कराने का निदेश दिया गया।

4–विद्युत:– कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया कि कोई समस्या नही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत सीवान जिला के भगवानपुर प्रखण्ड के ग्राम सराय पड़ौली, पचरुखी प्रखण्ड के निजामपुर, जीरादेई प्रखण्ड के ककरधाटी, दरौली प्रखण्ड के ग्राम महुआ और दरौंदा प्रखण्ड के ग्राम ढेबर का चयन किया गया है।इन ग्रामो के सभी ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 परिवारो को विद्युत कनेक्शन देना है।कार्यपालक अभियन्ता ,विद्युत को इन ग्रामों में कैम्प का आयोजन कर शतप्रतिशत घरों को विद्युत कनेक्शन से आच्छादित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–कार्यपालक अभियन्ता,विद्युत,सीवान)**

5–ग्राम स्वराज अभियान:–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–14.04.18 से 05.05.18 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न तिथियों को निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है:–

क्र0	तिथि	आयोजित कार्यक्रम
1	14.04.2018	आम्बेडकर जयन्ती (जिला स्तरीय समारोह)
2	18.04.2018	स्वच्छ भारत पर्व (गॉव सफाई अभियान)–गॉवों को खुले में शौच से मुक्त करना है।

3	20.04.2018	उज्जवला पंचायत (5000 समारोह—नए कनेक्शन / सुरक्षा प्रदर्शन)
4	24.04.2018	पंचायतीराज दिवस (राष्ट्रीय एवं ग्राम सभा स्तर)
5	28.04.2018	ग्राम शक्ति अभियान (ब्लॉक / जिला लाभार्थी सम्मेलन / मान्यता)
6	30.04.2018	आयुष्मान भारत अभियान
7	02.05.2018	किसान कल्याण कार्यशाला (ब्लॉक स्तर)
8	05.05.2018	आजीविका एवं कौशल विकास मेला (राष्ट्रीय और 4000 ब्लॉक स्तर)

जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि इससे सम्बंधित विस्तृत मार्गदर्शन सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय।जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा सीवान जिला के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो दिनांक—17.04.18 को सीवान आयेंगे और चयनित ग्रामों का भ्रमण कर स्थिति की समीक्षा करेंगे, अतः सभी सम्बंधित पदाधिकारी चयनित ग्रामों में कैम्प का आयोजन कर अपने विभाग से सम्बंधित योजनाओं का शतप्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि ग्राम निजामपुर में कुछ घरों में लगे नल काम नहीं कर रहे है और कुछ शौचालयों का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्ड,सीवान को आज ही निजामपुर का भ्रमण कर इन शिकायतों को दूर कराने का निदेश दिया गया। **(अनु0--उप विकास आयुक्त / सम्बंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी)**

6—सहकारिता— जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंतिम प्रतिवेदन भेज दिया गया है और गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या नही है।

7--आपूर्ति :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का कार्य चल रहा है और राशन कार्ड का प्रिंट हो रहा है। निदेश दिया गया कि जितना राशन कार्ड तैयार हो गया है उसका वितरण कर दिया जाय और प्रिण्ट के कार्य में तेजी लायी जाय।**जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिनांक—20.04.2018 को** उज्जवला पंचायत का **आयोजन सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया** गया। **(अनु0 :—जिला आपूर्ति पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर / महाराजगंज)**

8--कृषि :-- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सीवान जिला में ओला बृष्टि नही हुई है और ना ही किसी अन्य कारण से अबतक फसलों की क्षति हुई है।उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन भेज दिया गया **है।उन्हें** दिनांक--02.05.2018 **को प्रखण्ड स्तर पर किसान कल्याण कार्यशाला का** आयोजन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने करने का निदेश दिया गया। **(अनु0—जिला कृषि पदाधिकारी,सीवान)**

9--निर्वाचन :--उप निर्वाचन पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि अभी कोई समस्या नही है।

10--खनन :--खनन निरीक्षक, सीवान द्वारा बताया गया कि अभी डिपो में बालू उपलब्ध है और बालू आ भी रहा है। उन्हें बालू की नियमानुसार आपूर्ति करते रहने एवं प्रतिदिन क्षेत्र का भ्रमण करने का निदेश दिया गया।**(अनु0—खनन निरीक्षक, सीवान)**

11.--शौचालय निर्माणः—निदेशक,लेखा प्रशासन द्वारा बताया गया कि अभीतक 185 पंचायतों से ओ0डी0ई0 एफ0 प्राप्त हुआ है और 45 प्रतिशत कवरेज हुआ है। उन्हें शेष पंचायतों का भी ओ0डी0ई0 एफ0 अविलम्ब प्राप्त करने एवं डाटा की इण्ट्री सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। उन्हें ऑपरेटरवार इण्ट्री की प्रगति की समीक्षा कर प्रतिदिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया **(अनु0—उप विकास आयुक्त / निदेशक, लेखा प्रशासन,जि0ग्रा0वि0अभि0 / सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

11—मध्याह्न भोजन योजना :— बताया गया कि अभी IVRS का ऑन लाईन डाटा प्राप्त नहीं हो रहा है।

12--बाढ़ नियंत्रण:--

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान को अभी से बाढ़ निरोधात्मक कार्यो के लिए निविदा सहित अन्य आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **(अनु0--कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल,सीवान)**

13–आपदा प्रबंधनः–

जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए निविदा प्रकाशन एवं दर निर्धारण के लिए संचिका में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी,आपदा द्वारा बताया गया कि अभी लगभग 3000 पॉलिथिन शीट्स उपलब्ध है।उन्हें आगलग्गी के बाद सरकारी मापदण्ड के अनुसार पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसी तरह जिला पशुपालन पदाधिकारी को पशुओं के लिए चारा एवं अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा / जिला पशुपालन पदाधिकारी,सीवान)**

13–विविधः–

1–श्री शिव महादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार के पत्रांक–4430 दिनांक–04.04.18 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के दिनांक 21.10.13 एवं 09.09.13 की शिकायत के आलोक में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है। उसे अविलम्ब भेजने का निदेश विगत बैठक में दिया गया था। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि श्री रवीन्द्र कुमार सिंह शिकायत पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उसकी मांग विभाग से की गई है। **(अनु0 प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा,सीवान)**

2–सात निश्चय योजनाः–जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ कार्यपालक अभियन्ताओं को सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल / पक्की नाली गली कीकार्यान्वित योजनाओं की जॉच कर प्रतिवेदन देने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है।जॉच के दौरान मानक प्राक्कलन,अभिलेख संधारण की स्थिति एवं कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है। जॉच पर जाने के पूर्व योजना के मानक प्राक्कलन एवं उससे सम्बंधित मार्गदर्शिका की प्रति प्राप्त कर लेने का निदेश दिया गया। **(अनु–सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
सीवान

ज्ञाप सं0– 1057/सी0 दिनांक– 16 वीं अप्रैल, 2018 ई0

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त,सीवान / अपर समाहर्ता,सीवान / निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान / जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान / सिविल सर्जन,सीवान / सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों / अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज / भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज / समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों / अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान / महाराजगंज / कोषागार पदाधिकारी,सीवान / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी / सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों / कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / आई0टी0मैनेजर,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

16/4/18

जिला पदाधिकारी,
सीवान